

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :- 01.04.2022

मुकदमा नं० 60/2022

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/129

उनवान

राजेशसिंह पुत्र कलूआ जाति जाट निवारी गाम गहूखारा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---वादी

बनाम

शिवलाल पुत्र भंवर जाति जाट निवारी गाम गहूखारा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

---प्रतिवादीगण-03

फर्द अहकाम

दिनांक

04.2022

यह दावा वादी की ओर से श्री शाहिद अली एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।

(अनुप सिंह)

उप खण्ड अधिकारी  
हिण्डौन जिला करौली

25/4/2022 पत्रावली आग मिशल तलवी के जा.पत्रा पत्र पेश हुई। वादी व वादी वकील अपासित। पुनः पत्र वादी वकील ने अलग तकासा कि वादी उकरन आगे भी चलाना चाहती। वादी उकरन के उम में शाहित करना चाहती। अतः मु. नं० 60/2022 दावा राजेश बनाम शिवलाल नीट पुन में शाहित किया जावा है। पत्रावली दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।

55  
2022

पत्रावली आग मिशल तलवी के जा.पत्रा पत्र पेश हुई। वादी व वादी वकील अपासित। पुनः पत्र वादी वकील ने अलग तकासा कि वादी उकरन आगे भी चलाना चाहती। वादी उकरन के उम में शाहित करना चाहती। अतः मु. नं० 60/2022 दावा राजेश बनाम शिवलाल नीट पुन में शाहित किया जावा है। पत्रावली दिनांक 25.04.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी ( करौली )

नकेसि  
राजेशसिंह  
30-  
2022